(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : पीबीआर–निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/1660 विरूद्ध – आदेश दिनांक 8–4–17 – पारित व्दारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 13/2015–16 अपील

पुरूषोत्तम दास मोदानी पुत्र चतुर्भुजदास मोदानी
ग्राम जूना व्यावरा श्री कन्स्ट्रशन कंपनी गुना
नाके के सामने व्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र. ---आवेदक

विरूद्ध

1– हरि पुत्र घीसालाल काछी
2– मोहन पुत्र घीसालाल काछी
3– सूरज पुत्र घीसालाल काछी
4– श्रीमती संपतवाई पत्नि घीसालाल काछी
सभी नाके के सामने वांडी खाली के समीप
व्यावरा तहसील व्यावरा जिला राजगढ़, म.प्र. ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)

आ दे श

(आज दिनांक 7 – 12–2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 13/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–4–17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार व्यावरा को म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत मांग की कि उनके नाम कस्वा व्यावरा में कुल किता 5 कुल रकबा 0.340 हैक्टर भूमि है। सीमांकन के

दौरान 22-8-14 को ज्ञात हुआ कि आवेदक ने उनकी भूमि के 0.087 हैक्टर भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है इसलिये बेदखली के आदेश दिये जाकर कब्जा वापिस दिलाया जावे। तहसीलदार व्यावरा ने प्रकरण क्रमांक 17 अ 70/10-11 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 22-3-14 पारित करके रकबा 0.087 हैक्टर पर से आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी व्यावरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, व्यावरा ने प्रकरण क्रमांक 13 अ-70/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-9-15 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 27-3-15 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 13/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-17 से अपील अस्वीकार की। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने तहसीलदार व्यावरा के समक्ष आवेदन देकर उनके नाम कस्वा व्यावरा स्थित कुल किता 5 कुल रकबा 0.340 हैक्टर भूमि के रकबा 0.087 हैक्टर पर आवेदक का कब्जा होना बताते हुये कब्जा रिक्त कराने एंव आवेदक को बेदखल किये जाने की मांग की है। तहसीलदार व्यावारा के आदेश दिनांक 22-3-14 के पद 3 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आदेश में तहसीलदार ने यह माना है कि अनावेदक के नाम कस्वा व्यावरा स्थित कुल किता 5 कुल रकबा 0.340 हैक्टर भूमि है जिसमें से सर्वे नंबर 218/1 रकबा 0.087 हैक्टर पर सीमांकन से आवेदक का कब्जा होना पाया गया है।

उक्त सम्बन्ध में तहसील न्यायालय में आवेदक ने बचाव में पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनॉक 16-8-1996 की छायाप्रति प्रस्तुत कर बताया है कि पुरूषोत्तम एंव महिला संपतवाई ने सर्वे नंबर 218/1 में से रकबा 0.253 हैक्टर आवेदक को विक्रय की है जिसकी नामांत्रण कार्यवाही तहसील में विचाराधीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि अनावेदकगण उनके स्वत्व एंव स्वामित्व की कुल किता 5 कुल रकबा 0.340 हैक्टर

भूमि होना बता रहे है जो सर्वे क्रमांक 215/1, 215/2, 215/3, 218/1, एंव 222 की भूमि है और इसी भूमि में से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16-8-1996 से सर्वे नंबर 218/1 में से रकबा 0.253 हैक्टर आवेदक पुरूषोत्तम दास मोदानी एंव महिला संपतवाई व्दारा संयुक्त रूप से क्रय की गई है जिसके कारण भूमि सर्वे नंबर 218/1 के रकबा 0.253 हैक्टर में आवेदक पुरूषोत्तम दास मोदानी का हिस्सा 1/2 अर्थात 0.127 है. भाग लगभग है । इस भूमि पर केता पुरूषोत्तम दास मोदानी का नामान्तरण न होने के कारण यह सर्वे नंबर भी खाते में अनावेदकगण के नाम अंकित चला आया है ऐसी स्थिति में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16-8-96 पर से आवेदक व्दारा क्रय किये गये सर्वे नंबर 218/1 में से रकबा 0.253 हैक्टर के आधे भू भाग 0.127 है. पर नामान्तरण नहीं हो जाता है एंव भूमि चिन्हॉकित नहीं की जाती है, तब तक वादित भूमि का आवेदक को अतिक्रमणकर्ता भी नहीं माना जा सकता। सर्वप्रथम तहसीलदार केता आवेदक का नामान्तरण करें, तदुपरांत आवेदक के हित की भूमि बटांकित कराते हुये चिन्हॉकन करावें।

5/ उपरोक्त पद 4 में की गई विवेचना अनुसार तहसीलदार व्यावरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 17 अ 70/10-11 में पारित आदेश दिनांक 22-3-14 से आवेदक को रकबा 0.087 हैक्टर से बेदखल करने का दिया गया आदेश अनुचित है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, व्यावरा ने आदेश दिनांक 8-9-15 पारित करते समय तथा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा आदेश दिनांक 8-4-17 पारित करते समय ध्यान न देने में त्रृटि की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विरोधाभासी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 13/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-17 , अनुविभागीय अधिकारी, व्यावरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 13 अ-70/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-9-15 तथा तहसीलदार व्यावरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 17 अ 70/10-11 में पारित आदेश दिनांक 22-3-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार व्यावरा को निर्देश दिये जाते हैं कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16-8-1996 से क्रय की गई भूमि सर्वे नंबर 218/1 में से रकबा 0.253 हैक्टर के 1/2 भाग पर आवेदक पुरूषोत्तम दास मोदानी का नामान्तरण किया जावे। नामान्तरण होने के वाद भूमि के बटांकन उपरांत सीमांकन कार्यवाही की जावे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर